गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर – 7, गीडा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

GIDA Website : www.gidagkp.in

(PROMOTER REG. NO. UPRERAPRM278897)

योगी आदित्यनाथ
मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र.

नन्दगोपाल गुप्ता 'नन्दी'
मा. औद्योगिक विकास मंत्री, उ.प्र.

गीडा, गोरखपुर में 239 भूखण्ड एवं 96 आवासीय भवन (ईडब्लूएस एवं एलआईजी) प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर

(औद्योगिक, आवासीय, व्यावसायिक एवं संस्थागत)

ऑनलाइन पंजीयन की प्रारम्भ तिथि : 21.02.2026 | अन्तिम तिथि: 24.03.2026

औद्योगिक भूखण्डों का साक्षात्कार दिनांक 01.04.2026 प्रातः 11:00 बजे से गीडा कार्यालय में

व्यावसायिक एवं संस्थागत भूखण्डों का ई-ऑक्शन दिनांक 01.04.2026 प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक

आवासीय भूखण्ड एवं भवन की ई-लॉटरी दिनांक 06.04.2026 को प्रातः 11:00 बजे से गीडा कार्यालय में

गीडा सेक्टर -11 आवासीय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध भूखण्डों का विवरण

(RERA PROJECT REGISTRATION NO. UPRERAPRJ281199/09/2024)
(PROJECT COLLECTION A/C NO. 230605500264, IFSC-ICIC0003201)

क्र. सं.	भूखण्डों की श्रेणी	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भूखण्डों की संख्या	दर प्रति वर्ग मी. (रु.में)	पंजीकरण धनराशि (रु.में)
1	ए	300	03	33,500	10,05,000
2	बी	250	13	33,500	8,37,500
3	सी	200	04	33,500	6,70,000
4	डी	180	13	32,500	5,85,000
5	ई	150	01	32,500	4,87,500

व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत उपलब्ध भूखण्डों का विवरण

(व्यावसायिक योजना सेक्टर 11 रेरा परियोजना पंजीकरण संख्या UPRERAPRJ279685/11/2024)
(RERA PROJECT COLLECTION A/C NO. 230605500261, IFSC-ICIC0003201)

क्र. सं.	भूखण्डों का आकार	भूखण्डों की संख्या				भूखण्डों की कुल संख्या
		सेक्टर-11	सेक्टर-13	सेक्टर-22	सेक्टर-23	
1	0 से 13838 वर्ग मीटर तक	19	18	22	04	63

विशेष आकर्षण

- राष्ट्रीय राजमार्ग गोरखपुर-लखनऊ एवं कुशीनगर-सोनौली के जंक्शन प्वांइट पर स्थित।
- गोरखपुर पूर्वांचल लिंक-एक्सप्रेस वे से मात्र 3 किमी. की दूरी पर।
- प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान से नजदीकी दूरी पर।
- महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट व गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 16 किमी. पर ।
- गीडा द्वारा पूर्व विकसित योजनाओं के मध्य स्थित एवं आदर्श लोकेशन।

गीडा सेक्टर-23 आवासीय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध भूखण्ड का विवरण

क्र. सं.	भूखण्ड की श्रेणी	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भूखण्ड की संख्या	दर प्रति वर्ग मी. (रु.में)	पंजीकरण धनराशि (रु.में)
1	ए	240	01	23700	5,68,800

गीडा सेक्टर-11 आवासीय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध भवनों का विवरण

क्र. सं.	ईडब्लूएस एवं एलआईजी श्रेणी	भवनों का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भवनों की संख्या	अनुमानित मूल्य प्रति यूनिट (रु)	पंजीकरण धनराशि (रु.में)
1	EWS	39.89	48	5,13,000	51,300
2	LIG	47.96	48	10,53,000	1,05,300

गीडा सेक्टर-09 संस्थागत योजना के अन्तर्गत उपलब्ध भूखण्ड का विवरण

क्र. सं.	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भूखण्ड की संख्या	आरक्षित दर प्रति वर्ग मी. (रु.में)	पंजीकरण धनराशि (रु.में)
1	24575	01	8667	2,12,99,153

औद्योगिक भूखण्डों का विवरण

क्र. सं.	भूखण्डों का आकार	भूखण्डों की संख्या				सेक्टर 27	सेक्टर - 28		भूखण्डों की कुल संख्या
		सेक्टर 13 सामान्य	सेक्टर 15 सामान्य	सेक्टर - 26 सामान्य	सेक्टर - 26 गारमेन्ट पार्क (रेडीमेड गारमेन्ट से सम्बन्धित इकाईयों हेतु)	सामान्य	सामान्य	प्लास्टिक पार्क (प्लास्टिक सम्बन्धित इकाईयों हेतु)	
1	0 से 1000 वर्ग मीटर तक	07	01	0	41	0	0	02	51
2	1001 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	26	07	5	1	03	7	21	70
3	4001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	02	0	3	1	05	3	3	17
4	20001 वर्ग मीटर से अधिक	0	0	0	0	1	0	01	2

आवेदन के नियम

- भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में विस्तृत नियम व शर्तें तथा भूमि की दरें गीडा की वेबसाइट www.gidagkp.in में उपलब्ध e-brochure से देखी जा सकती हैं।
- आवासीय योजना से सम्बन्धित ऑन-लाईन आवेदन वेबसाईट https://pms.gidaerp.in/Login.aspx के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। आवासीय भूखण्डों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
- औद्योगिक भूखण्डों हेतु ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट https://niveshmitra.up.nic.in पर रजिस्टर करने के उपरान्त किया जाना होगा।
- व्यावसायिक/संस्थागत भूखण्ड ई-ऑक्शन के माध्यम से उपलब्ध होंगे। ई-ऑक्शन हेतु आवेदन http://gida.procure247.com एवं https://gidaauction.procure247.com/ पर जाकर किया जाना होगा।
- आवंटन के पूर्व या पश्चात किसी नियम व आवंटन प्रक्रिया में परिवर्तन या पूरी आवंटन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित है।
- पंजीकरण एवं सम्बन्धित प्रक्रिया की जानकारी हेतु संपर्क करें - मोबाइल नम्बर - 9580509234, 9151803984, 9151804004, 9151803991

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
गीडा, गोरखपुर

REQUIRED DOCUMENTS FOR ONLINE APPLICATION IN RESIDENTIAL SCHEMES, SECTOR-11 (E.W.S & L.I.G. FLAT) GIDA

- CANDIDATE PHOTO
- ID PROOF (AADHAR CARD, VOTER ID, DRIVING LICENSE, PASSPORT)
- PAN CARD
- AFFIDAVIT (FORMAT PROVIDED ON SITE)
- RESERVATION CERTIFICATE OF APPLICANT (IF APPLICABLE)
- EMPLOYER CERTIFICATE (AS PER POINT NO. 5 (i) OF BROUCHER)
- YEARLY INCOME CERTIFICATE ISSUED BY COMPETENT OFFICER NOT BELOW THE RANK OF TEHSILDAR
- BANK STATEMENT OF SALARY
- E.P.F/E.S.I.C. MEMBER CERTIFICATE

GIDA

GORAKHPUR INDUSTRIAL
DEVELOPMENT AUTHORITY

आवासीय योजना (सेक्टर–11)

आवासीय भवन (ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी)

विवरण पुस्तिका

1 संक्षिप्त परिचयः–

- गोरखपुर –लखनऊ राजमार्ग एवं सोनौली–कुशीनगर मार्ग के जक्शन जीरो प्वांइट पर गीडा द्वारा सेक्टर–11 में आवासीय योजना विकसित की गई है।
- आर्थिक रूप से अल्प आय के व्यक्तियों हेतु बहुमंजलीय भवन का निर्माण कराया गया हैं।
- योजना में तीन टॉवर विकसित किये गये हैं।
- ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी श्रेणी के भवन का निर्माण कराया गया है।
- आवासीय भवन के आवंटन से गीडा औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे लोंगो एवं कमजोर आय वर्ग के परिवारों को सुलभ एवं वहन करने योग्य आवास की सुविधा उपलबध हो सकेगी ।

2–भवनों का विवरण :–

सेक्टर–11 में आवंटन हेतु प्रस्तावित भवनों का विवरण

क्र0 सं0	भवनों के श्रेणी	भवनों का अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमी0)	भवनों की सं0	भवन का अनुमानित मूल्य (रूपये में)	पंजीयन धनराशि (कुल मूल्य का 10 प्रतिशत) (रूपये में)
1	ई.डब्ल्यू.एस	39.89	48	5,13,000.00	51,300/–
2.	एल.आई.जी	47.96	48	10,53,000.00	1,05,300/–

नोटः–

1–फ्लैट के अनुमानित मूल्य की 20 प्रतिशत धनराशि (पंजीयन धनराशि को छोडते हुये) आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिन के अंदर भुगतान करना होगा तथा अवशेष धनरााशि 5 वर्षों में छःमाही किश्तों में भुगतान करना होगा।

2–यदि आवंटी भवन का आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि के 60 दिनों में आवंटित भवन के सापेक्ष देय धनराशि का पूर्ण भुगतान कर देता है तो उक्त दशा में 2 प्रतिशत की छूट भूखंड के कुल प्रीमियम में अनुमन्य होगी।

3–भवन आवंटन होने के पश्चात निर्धारित समयावधि में आवंटन धनराशि जमा न करने की दशा में आवेदक द्वारा आवेदन के साथ जमा की गई पंजीयन धनराशि गीडा द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

3. आरक्षण :–

क्र0सं0	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21 %	उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियाँ ही पात्र होंगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जन जाति	02 %	तदैव
3	अन्य पिछडा वर्ग	27 %	तदैव

आवास अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–4982/9–आ–1–99–79 बैठक/99 दिनॉक 17.12.1999 के क्रम में उपरोक्तानुसार आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

अवशेष 50 % भवन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवंटित किये जायेगें।

उपर्युक्त आरक्षित श्रेणी के अतंर्गत ही प्रत्येक श्रेणी में निम्न विवरणानुसार आरक्षण प्रदान किया जायेगा:–

क्र0 सं0	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	सूचनात्मक टिप्पणी
4.	समाज के दिव्यांगजन	03%	दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत होने का प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो।
5.	गीडा अतंर्गत भूमि के अधिग्रहण/क्रय से प्रभावितों हेतु	10%	गीडा द्वारा भूमि अधिग्रहण/क्रय से सम्बन्धित साक्ष्य आवेदक को प्रस्तुत करना होगा।

नोट:–

(i) उपरोक्त में से क्रमांक 01 से 03 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें, ई–लॉटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 एवं 5 के आरक्षण, 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। हारिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

(ii) गीडा की आवासीय योजना एवं गोरखपुर जनपद के अतंर्गत सरकारी आवास योजना में किसी भी प्राधिकरण/आवास विकास परिषद इत्यादि के अतंर्गत पूर्व में आवास (भवन एवं भूखंड) प्राप्त कर चुके व्यक्ति (पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे), इस आवासीय योजना हेतु अर्ह नहीं होंगे।

(iii) उपरोक्त आरक्षण एक बार ही लागू होगी। लॉटरी में अगर भवन अवशेष रहते हैं तो पुनः लॉटरी में कोई भी आरक्षण नहीं दिया जायेगा।

4. आवासीय भवनो के आवंटन प्रकिया :–

(i) भवनों का आवंटन विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् ऑन लाईन आवेदन प्राप्त करके ई–लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

(ii) निर्धारित पंजीकरण धनराशि आनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करना होगा।

(iii) इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य है।

(iv) एक ही श्रेणी में एक व्यक्ति/परिवार द्वारा एक से अधिक पंजीकरण मान्य नहीं होगें। एक व्यक्ति/परिवार द्वारा एक ही श्रेणी में आवेदन किया जायेगा।

(v) ई–लॉटरी में सफल आवेदकों के पक्ष में उनके द्वारा जमा किये गये समस्त दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरान्त सही पाये जाने पर भवन का आवंटन किया जायेगा। आवंटन के पश्चात भी दस्तावेजों में त्रुटि/फर्जी पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

(vi) भवनों का आवंटन 90 वर्ष की लीज पर ई–लॉटरी में सफल आवेदक के पक्ष में किया जायेगा। भवन का आवंटन जैसा है जहॉ है, के आधार पर किया जायेगा जिसके लिये आवंटी को पट्टा विलेख का निष्पादन एवं पंजीकरण करा कर कब्जा प्राप्त करना होगा।

(vii) यदि आरक्षण वर्गीय कोटे से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो ऐसे आरक्षित भवनों का आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेंदकों को कर दिया जायेगा।

(viii) इस योजना के अन्तर्गत 90 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर भवन आवंटित किये जायेंगें।

(ix) योजना में भवनों के आवंटन से पूर्व इच्छुक आवेदक, यदि चाहे तो किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे पूर्वान्ह से 05 बजे अपरान्ह तक उपलब्ध भवनों के मानचित्र देखकर अपनी संतुष्टि कर सकता है।

5. आवंटन के लिए पात्रता :–

(i) आवेदक गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखंडो में स्थापित एवं कियाशील इकाई में न्यूनतम एक वर्ष से कार्यरत हो। इसके लिये आवेदक को नियोक्ता का प्रमाण पत्र, वेतन आहरित किये जाने का बैंक स्टेटमेन्ट, ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. का सदस्य होने का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा करना होगा।

(ii) भवन आवंटन हेतु आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र पर प्रस्तुत करना होगा।

(iii) आवंटन हेतु आवेदन पत्र भेजते समय आवेदक की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है।

(iv) एक परिवार के एक ही सदस्य को भवन का आवंटन किया जायेगा। एक परिवार में पति–पत्नी तथा अल्प वयस्क बच्चों को शामिल किया जायेगा।

(v) भवन आवंटन हेतु पति–पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से एक श्रेणी में आवदेन किया जा सकता है।

(vi) आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्य के पास गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय योजना या गोरखपुर जनपद के अंतर्गत सरकारी आवास योजना में किसी भी प्राधिकरण/आवास विकास परिषद इत्यादि द्वारा आवंटित कोई भी भूखंड/भवन नहीं होना चाहिये।

(vii) शासनादेश सं0–3267/आठ–1–16–80 विविध/10 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 दिनॉक 24.10.2016 के अनुसार भारत सरकार/HUDCO के सर्कुलर सं0–88/डी.एफ./2015 दिनॉक 14.12.2012 द्वारा ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी. के परिवारों के वार्षिक आय का पुनरीक्षण किया जा चुका है, जिसके कम में ई.डब्ल्यू.एस के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख तक तथा एल.आई.जी. परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक परंतु रूपये 6 लाख तक होगी। भविष्य में भी भारत सरकार/HUDCO द्वारा मानक पुनरीक्षित करने पर उसे यथावत लागू माना जायेगा (आय के सबंध में सक्षम प्राधिकारी जो कि तहसीलदार से कम स्तर का न हो द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।)

नोट :–

(i) भवनों का आवंटन निर्धारित धनराशि जमा करने वाले आवदेकों के मध्य सार्वजनिक रूप से ई–लाटरी द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को ई–लाटरी की तिथि की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगीं। आवासीय भवन आवंटननार्थ लाटरी अलग–अलग श्रेणीवार निकाली जायेगीं।

(ii) केवल ई–लाटरी में किसी व्यक्ति के सफल होने की घोषणा से उसे भवन के आवंटन का अधिकार प्राप्त न होगा। आवंटन तभी बैध माना जायेगा जब वह आवंटन का पात्र हो और उसके द्वारा समस्त औपाचारिकतायें निर्धारित समय के अन्दर पूरी कर दी गयी हो तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हो।

(iii) आवंटी पर उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम–1976 के प्राविधान तथा उसके अन्तर्गत गठित नियम लागू माने जायेगें।

6. तथ्यों को छिपाना :–

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया जाता है तो उनके आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं अन्य कोई कार्यवाही (जो उचित समझे) कर सकते हैं।

7. औपचारिक आवंटन पत्र :–

(i) ई–लाटरी में सफल प्रत्येक आवंटी को समस्त अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् औपचारिक आवंटन पत्र भेजा जायेगा। आवंटी को आवंटन पत्र में दी गयी निर्धारित तिथि तक ***आवंटन धनराशि*** पंजीयन धनराशि के समायोजन के उपरान्त जमा करनी होगी।

(ii) आवंटी द्वारा आवंटन स्वीकार न किये जाने की दशा में उक्त भवन को आगामी योजना में ई–लाटरी द्वारा भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे।

8. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी :–

(i) चयन की लाटरी के पश्चात् असफल आवेदकों को एक माह के अन्दर एकाउन्ट पेई चेक द्वारा अथवा नेफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से पंजीकरण धनराशि आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में वापस की जायेगी। इस हेतु आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर आवेदक का बैंक का खाता संख्या एवं IFSC कोड अवश्य अंकित करना होगा।

(ii) भवन की ई–लाटरी के पश्चात् तथा आवंटन के पहले धनराशि वापस लेने पर 20 प्रतिशत (पंजीकरण/भवन मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि पर) कटौती करते हुये अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

9. अन्य बिन्दु :–

(i) आवंटन की प्रक्रिया अथवा आवंटित सम्पत्ति का कब्जा दिये जाने से सम्बन्धित अथवा अन्य किसी भी विषय पर यदि विवाद उत्पन्न होता है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

(ii) यदि कोई आवंटी आवासीय भवन का उपयोग आवास हेतु न करके किसी अन्य उपयोग में करता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

(iii) गीडा में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को भवन उपलब्ध कराने की बाध्यता गीडा की नहीं है। यदि किसी आवेदक को वांछित भवन नहीं मिल पाता है, तो वह इसके लिये गीडा से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(iv) विवरण पुस्तिका में उल्लिखित भवन के प्रस्तावित प्रीमियम का संशोधन अथवा वृद्धि का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को होगा। इस बारे में आवंटी को गीडा द्वारा भेजे गये पत्र या समाचार पत्रों में विज्ञापित सूचना पर्याप्त मानी जायेगी।

(v) प्राधिकरण द्वारा भवन के परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(vi) आवंटी द्वारा भवन को किराये पर नहीं दिया जा सकेगा। आवंटन तिथि से 10 वर्षो के अंदर भवन के हस्तातंरण हेतु किये गये आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(vii) गीडा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाई से अधिकतम दो व्यक्तियों हेतु भवनों का आंवटन किया जा सकेगा ।

(viii) ऊपर वर्णित नियम/शर्तो को किसी भी समय मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

आवासीय योजना(सेक्टर–11) में

भवन (ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी.)

शपथ पत्र का प्रारूप

(रूपया 100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

समक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

मैं श्री/श्रीमती/कु. ....पिता/पति का नाम श्री..

निवासी.......................................आयु.......... वर्ष ....व्यवसाय...

शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ :–

1. मै/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम आवासीय योजना सेक्टर–11 में, **ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी** के अन्तर्गत प्रस्तावित भवन के आवेदन तथा तत्सम्बन्धी भवन पट्टे पर लेने के लिए यह शपथपत्र प्रेषित कर रहा हूं/रही हूं।
3. मैं/हम बालिग हूं तथा मेरी आयु 21 वर्ष से अधिक है।
4. मैं/प्रार्थना–पत्र केवल अपने लिये ही दे रहा/रही हूं और इसमें किसी प्रकार को बेनामी अधिकार शामिल नहीं है।
5. मुझे गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित आकार का भवन देने की सभी शर्ते व नियम मान्य है।
6. मैं/हम यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मेरे/मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय योजना या गोरखपुर जनपद के अंतर्गत सरकारी आवास योजना में किसी भी प्राधिकरण/आवास विकास परिषद इत्यादि द्वारा कोई भी भूखंड/भवन पहले से आवंटित नहीं है ।
7. मैं/हम यह भी स्वीकार करता/करती हूं कि भवन का रख–रखाव तथा उसे सुन्दर व स्वच्छ हालत में रखने की जिम्मेदीरी मेरी होगी और मैं ही भवन के सम्पत्ति कर अथवा अन्य जो भी कर देय होंगे, उनको देने का उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। मैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा द्वारा समय–समय पर दिये गये सभी निर्देशों का पालन करता रहूंगा/रहूंगी।
8. मैं/हम यह भी स्वीकार करता/करती हूं कि भवन में कोई अन्य निर्माण कार्य अथवा परिवर्तन गीडा की आज्ञा के बिना नही करूंगा/करूंगी और न ही आवासीय उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाऊँगा/लाऊँगी।
9. यदि गीडा द्वारा अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में कोई अन्य शुल्क लगाया जाता है तो मैं उसे समय से भुगतान करूँगा/करूँगी।
10. यदि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित उक्त भवन का कब्जा मैं न लूं अथवा निर्धारित समय के अन्तर्गत माँगा गया रूपया न जमा करूँ अथवा भवन की रजिस्ट्री न कराऊ तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा द्वारा निर्धारित की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूं तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को प्रधिकरण नियमानुसार धन

राशि जब्त करने भवन का आवंटन रद्द करने तथा भवन पर पुनः कब्जा कर लेने का पूरा अधिकार होगा।

11. यदि भूमि अर्जन/क्रय के प्रतिकर के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भवन के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसके निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूँगा/करूँगी/करेगे।
12. मैने अर्हताओं के सम्बन्ध में वांछित दस्तावेज संलग्न किये हैं।
13. मैंने पंजीकरण पुस्तिका के सभी नियम/शर्तें भली भांति पढ़ एवं समझ लिये हैं तथा मैं इससे सहमत हूँ। ऊपर मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है और उपरोक्त शपथपत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गई उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैंने कोई महत्वपूर्ण प्रासंगिक बात छिपाई हो, तो अन्य अधिकारों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को पूरा अधिकार होगा कि पंजीकरण/आवंटन अनुबन्ध रद्द कर दे व भवन पर से पुनः कब्जा वापस ले लें और इस सम्बन्ध में मेरे/हमारे द्वारा जमा धनराशि को जब्त कर लें तथा मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझें करें, उसमें मुझे/हमें कोई आपत्ति न होगी।

आवेदक–1

आवेदक के हस्ताक्षर ....

आवेदक का पूरा नाम ....

व पूरा पता ....

आवेदक–2

आवेदक के हस्ताक्षर ....

आवेदक का पूरा नाम ....

व पूरा पता ....

स्थान :

दिनांकः